एसडी कंस्ट्रक्शन व अहिल्या होम्स पर रेरा ने लगाया प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने ग्राहकों से वादाखिलाफी करने वाले बिल्डर एसडी कंस्ट्रक्शन व अहिल्या होम्स को प्रतिबंधित कर दिया है। बिल्डर पर खरीददारों को तय समय पर फ्लैट और बंगला नहीं देने और फर्जीवाड़ा करने के मामले में कार्रवाई की है। श्री गणेश टाउनशिप में डुप्लेक्स बंगले की बुकिंग के बावजूद तय समय पर नहीं देने की पुष्टि हुई है। खरीदारों ने बिल्डर पर बुकिंग और एग्रीमेंट की शर्तों की अनदेखी करने और मनमानी की शिकायत की थी। इसी आधार पर गत दिनों रेरा ने बिल्डर को चेतावनी दी थी। लेकिन बिल्डर चेतावनी की अनदेखी कर कंपनी की वेबसाइट पर धड़ल्ले से श्री गणेश टाउनशिप प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं में फ्लैट, प्लॉट और बंगलो की बुकिंग कर रहा है। ऐसे में रेरा ने बिल्डर को वेबसाइट से सभी जानकारी तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं।बता दें कि बिल्डर ने अभी तक परियोजना का निबंधन रेरा में नहीं कराया है। रेरा ने एसडी कंस्ट्रक्शन व अहिल्या होम्स की इस करतूत को गंभीरता से लिया है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और डॉ. एसबी सिन्हा ने बिल्डर को जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी है। एसडी कंस्ट्रक्शन और अहिल्या होम्स के एमडी संजीव राज, निदेशक राजेंद्र प्रसाद सिंह और अनुराधा भारती को चेताया है।

Scanned by CamScanner